उत्तराखण्ड राज्य

सहकारिता विभाग,
उत्तराखण्ड

निबंधक, सहकारी समितियां उत्तराखण्ड, देहरादून

सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005
धारा (4)(ख) के स्वः प्रकटीकरण के प्रावधान के अन्तर्गत तैयार मैनुअल

मैनुअल–14
{धारा 4(1)(ख)(14)}

सहकारिता विभाग में इलेक्ट्रॉनिक रूप में उपलब्ध सूचनाएँ

31 मार्च 2026 तक अद्यावधिक

सूचना का अधिकार अधिनियमए 2005 की धारा 4(1)(b)(xiv) के अन्तगर्त विभाग द्वारा इलेक्ट्रॉनिक रूप में उपलब्ध कराई जाने वाली सूचनाओं का विवरण

इलेक्ट्रॉनिक रूप में उपलब्ध सूचनाएँ

सूचना का अधिकार अधिनियमए 2005 की धारा 4(1)(b)(xiv) के अन्तगर्त विभाग द्वारा इलेक्ट्रॉनिक रूप में उपलब्ध कराई जाने वाली सूचनाओं का विवरण निम्नवत् है–

क्र० सं०	सूचना / अभिलेख का प्रकार	सूचना का स्वरूप	इलेक्ट्रॉनिक माध्यम	उपलब्धता / प्राप्ति का माध्यम	अद्यतन की स्थिति
1	विभाग से सम्बन्धित अधिनियम एवं नियम	इलेक्ट्रॉनिक दस्तावेज	PDF/अन्य डिजिटल प्रारूप	विभागीय वेबसाइट	समय–समय पर अद्यतन
2	शासनादेश एवं शासन द्वारा जारी निर्देश	इलेक्ट्रॉनिक दस्तावेज	PDF/स्कैन प्रति	विभागीय वेबसाइट / इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख	उपलब्धता के अनुसार अद्यतन
3	विभागीय कार्यालय आदेश एवं परिपत्र	इलेक्ट्रॉनिक दस्तावेज	PDF/स्कैन प्रति	विभागीय वेबसाइट / इलेक्ट्रॉनिक माध्यम	समय–समय पर अद्यतन
4	विभागीय संरचना एवं अधिकारियों का विवरण	इलेक्ट्रॉनिक रूप में	वेब-पेज/PDF	विभागीय वेबसाइट	पदस्थापना / परिवर्तन के अनुसार
5	सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 से सम्बन्धित सूचनाएँ	इलेक्ट्रॉनिक दस्तावेज	PDF/वेब-पेज	विभागीय वेबसाइट	समय–समय पर अद्यतन
6	लोक सूचना अधिकारियों एवं प्रथम अपीलीय अधिकारियों का विवरण	इलेक्ट्रॉनिक रूप में	वेब-पेज/PDF	विभागीय वेबसाइट	परिवर्तन होने पर अद्यतन
7	विभागीय योजनाओं एवं कार्यक्रमों से सम्बन्धित सार्वजनिक सूचना	इलेक्ट्रॉनिक रूप में	PDF/वेब-पेज	विभागीय वेबसाइट	समय-समय पर अद्यतन
8	सहकारी समितियों से सम्बन्धित सार्वजनिक रूप से उपलब्ध सूचनाएँ	इलेक्ट्रॉनिक रूप में	PDF/वेब-पेज/अन्य डिजिटल माध्यम	विभागीय वेबसाइट	उपलब्धता के अनुसार अद्यतन
9	निविदांए सूचना एवं अन्य सार्वजनिक विज्ञप्तियाँ	इलेक्ट्रॉनिक दस्तावेज	PDF/वेब-पेज	विभागीय वेबसाइट	जारी होने पर अद्यतन
10	अन्य सार्वजनिक रूप से उपलब्ध विभागीय सूचनाएँ	इलेक्ट्रॉनिक रूप में	PDF/वेब-पेज/अन्य डिजिटल माध्यम	विभागीय वेबसाइट	आवश्यकतानुसार अद्यतन

01 इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से सूचना की उपलब्धता–

सहकारिता विभाग द्वारा विभागीय कार्यों से सम्बन्धित सूचनाओं, अभिलेखों एवं दस्तावेजों का संधारण यथासम्भव इलेक्ट्रॉनिक / कम्प्यूटरीकृत स्वरूप में किया जाता है, विभाग द्वारा उपलब्ध सूचनाओं को नागिरकों तक सुगम रूप से पहुँचाने हेतु विभागीय वेबसाइट एवं अन्य उपलब्ध इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों का उपयोग किया जा रहा है।

वर्तमान में विभाग से सिम्बन्धत विभिन्न सूचनाएँ, यथा अधिनियम, नियम, शासनादेश, पिरपत्र, कार्यालय आदेश, अधिसूचनाएँ, विभागीय संरचनाए अधिकारियों का विवरण, सूचना का अधिकार अधिनियम से सम्बन्धित विवरण तथा अन्य साविजर्नक सूचनाएँ, उपलब्धता के अनुसार इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से उपलब्ध कराई जाती हैं।

सूचना का अधिकार अधिनियमए 2005 के अन्तगर्त माँगी गई कोई सूचना यदि विभागीय अभिलेखों में इलेक्ट्रॉनिक रूप में उपलब्ध है, तो अधिनियम एवं प्रचिलत नियमों के अधीन निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार उक्त सूचना इलेक्ट्रॉनिक माध्यम अथवा अन्य अनुमन्य माध्यम से उपलब्ध कराई जा सकती है।

02 वेबसाइट–

विभागीय सूचनाओं को नागरिकों के लिए अधिक सुगम एवं पारदर्शी बनाने हेतु विभागीय वेबसाइट पर उपलब्ध सूचनाओं को समय-समय पर अद्यतन किया जाता है। वेबसाइट पर उपलब्ध सूचनाओं के अतिरिक्त ऐसी सूचनाए जो इलेक्ट्रॉनिक रूप में उपलब्ध नहीं है अथवा जिसे वेबसाइट पर प्रदर्शित नहीं किया गया है, सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के प्रावधानों के अधीन निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार प्राप्त की जा सकती है।

वेबसाइट पर उपलब्ध कराई जाने वाली प्रमुख सूचनाएँ	उदाहरण
कानूनी / नियामक सूचना	अधिनियम, नियम, शासनादेश, निर्देश
विभागीय सूचना	संरचना, अधिकारी, कार्यालय संबंधी विवरण
RTI सूचना	लोक सूचना अधिकारी / प्रथम अपीलीय अधिकारी एवं संबंधित विवरण
सार्वजनिक सूचना	निविदा, विज्ञप्ति, परिपत्र, अधिसूचना आदि
अन्य डिजिटल सामग्री	उपलब्ध सार्वजनिक दस्तावेज एवं सूचनाएँ

03 सूचना प्राप्त करने का माध्यम–

नागरिक विभागीय वेबसाइट पर उपलब्ध सार्वजनिक सूचनाओं का अवलोकन कर सकते हैं। इलेक्ट्रॉनिक रूप में उपलब्ध न होने वाली अथवा विशेष रूप से माँगी गई सूचना के लिए सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 6(1) के अन्तर्गत आवेदन सम्बन्धित लोक सूचना अधिकारी को प्रस्तुत किया जा सकता है।

चरण	प्रक्रिया
01	विभागीय वेबसाइट / ऑनलाइन माध्यम पर उपलब्ध सार्वजनिक सूचना का अवलोकन।
02	यदि वांछित सूचना उपलब्ध न हो अथवा विशेष रूप से आवश्यक हो, तो RTI आवेदन प्रस्तुत करना।
03	लोक सूचना अधिकारी द्वारा संबंधित अभिलेख / सूचना की उपलब्धता का परीक्षण।
04	इलेक्ट्रॉनिक रूप में उपलब्ध सूचना को अधिनियम एवं लागू नियमों के अधीन अनुमन्य माध्यम से उपलब्ध कराना।
05	जहाँ सूचना इलेक्ट्रॉनिक रूप में उपलब्ध न हो, वहाँ अधिनियम एवं नियमों के अनुसार अन्य अनुमन्य माध्यम अपनाना।

04 वैधानिक आधार एवं महत्वपूर्ण प्रावधान–

प्रावधान	विषय
धारा 4(1)(a)	अभिलेखों का उचित रख-रखाव एवं जहाँ उपयुक्त हो कम्प्यूटरीकरण।
धारा 4(1)(b)(xiv)	ऐसी सुविधाओं का विवरण जिनके माध्यम से सूचना इलेक्ट्रॉनिक रूप में उपलब्ध है।
धारा 6(1)	सूचना प्राप्त करने हेतु आवेदन प्रस्तुत करने का प्रावधान।
धारा 7	सूचना आवेदन के निस्तारण एवं सूचना उपलब्ध कराने की प्रक्रिया।
धारा 8 एवं 9	निर्धारित परिस्थितियों में सूचना के प्रकटीकरण से छूट / अपवाद।
धारा 10	पृथक्करणीय सूचना उपलब्ध कराने का प्रावधान।

05 कार्यालय संबंधी विवरण–

विवरण	जानकारी
लोक प्राधिकारी	निबन्धक, सहकारी सिमतियाँ, उत्तराखण्ड
मुख्यालय	देहरादून, उत्तराखण्ड
लोक सूचना अधिकारी	श्री पवन पंवार, अपर जिला सहकारी अधिकारी
प्रथम अपीलीय प्राधिकारी	सुश्री रमिन्द्री मन्द्रवाल
विभागीय वेबसाइट	https://cooperative.uk.gov.in